678वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 678वीं बैठक दिनांक 13/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 10292/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL उपमहाप्रबंधक, संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar, Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Dantgora Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (9000 cum per year) (Khasra No. 45), Village-Dantgora, Tehsil-Palera, District-Tikamgarh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक नागेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गालियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक)संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar,	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	45 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 ha.
स्थल	Village Dantgora, Tehsil palera, District Tikamgarh. (MP)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान धसान नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण दौरान सरफेस मेप में 1.2 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.8 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य दर्शाया है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4608 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4608 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4608 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दॉतगोरा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेज न. 41 सरल क्रमांक 16 दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–9,000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.79 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.58 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.33 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलईया के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	33,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम दांतगोरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3550
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (	50

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की

सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**3600**

2. <u>Case No 10299/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P. Prior Environment Clearance for Bankakhedi Sand Deposit in an area of 4.014 ha. (24084 cum per year) (Khasra No. 108, 109/1), Village-Bankakheri, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	108 & 109/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.014 ha
स्थल	ग्राम BANKAKHERI तसहील Shujalpur जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 447 दिनांक 23/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, जिसका आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण 1.60 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.40 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है । ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–24,084 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–24,084 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 242 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र	

की अनापत्ति	क्रमांक 242 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 242 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निशाना जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–48 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–24,084 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24,084 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

आज दिनांक 13/09/2023 को शाजापुर के प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण के समय पी.पी द्वारा संशोधित कॉर्डिनेट की जानकारी जो खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 658 दिनांक 04/07/2023 के द्वारा दिये गये है, उसे मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा द्वारा बताया गया कि जिले की रेत खनिज की डी.एस.आर का अप्रूवल दिनांक 22/09/2022 को किया गया था, समिति द्वारा संशोधित सूची को मान्य किया गया। माईनिंग ऑफिसर को निर्देश दियें गये की पूरे डीएसआर की सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कापी शीघ्र सेक कमेटी एवं सिया कार्यालय को प्रस्तुत किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–24,084 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.46 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 14500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	14,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4816 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1566**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**800**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**800**
2	ग्राम बनकाखेड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4816**

3. Case No 10392/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P. Prior Environment Clearance for Dhablaghosi Sand Deposit in an area of 2.52 ha. (15120 cum per year) (Khasra No. 01, 353/1, 354), Village-Dhabla Ghosi, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field) Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1, 353/1 & 354 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.52 hectare.
स्थल	ग्राम DHABLA GHOSI तसहील Shujalpur जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, जिसका आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण 1.02 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.5 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है । ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,120 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,120 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 240 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 240 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 240 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हाबलाघोंसी जिला शाजापुर के अनापत्ति पत्र दिनांक 16/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–15,120 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,120 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,120 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.10 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.62 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 13000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	13,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4816 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**474**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**950**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**550**
2	ग्राम दबलाघोसी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1050

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**3024**

4. <u>Case No 10313/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Ghatiyakhurd Sand Deposit in an area of 4.50 ha. (27000 cum per year) (Khasra No. 194), Village-Ghatiyakhurd, Tehsil-Gulana , District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	194 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.50 ha.
स्थल	ग्राम GHATIA KHURD तसहील Gulana जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 2.81 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.69 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 229 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 229 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 229 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरन प्रस्तुत करेंगे ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–08 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 27000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–27,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.15 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.83 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 14000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	14,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1900**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1300**

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**850**
2	ग्राम घटियाखुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5400**

5. **<u>Case No 10347/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Dhenka Sand Deposit in an area of 4.90 ha. (29400 cum per year) (Khasra No. 602), Village-Dhenka, Tehsil-Moman Badodiya, District-Shajapur (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	602 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.9 00 ha.
स्थल	ग्राम DHENKA तसहील Moman Badodiya जिला Shajapur (म.प्र.)	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 1.947 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.953 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 226 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 226 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 226 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुम्हारिया पाल जिला शाजापुर के अनापत्ति दिनांक 07/12/14 अनुसार पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–05 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–29,400 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.67 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 15000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	15,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1380**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1250**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1050**
2	ग्राम ढेंका के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2150
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।			

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**5800**

6. <u>Case No 10395/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Tingajpur Kopda Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 1307, 1350), Village-Tingajpur, Tehsil-Gulana, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1307&1350 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.500 hectare
स्थल	ग्राम TINGAJPUR तसहील Gulana जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 1.98 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.92 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका	

	उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 230 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 230 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 230 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/23 अनुसार ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव समिति के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–07 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–29,400 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि

किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.28 लाख प्रति वर्ष ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 15100 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	15,100/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1000**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1500**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1500**
2	ग्राम कुदाना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1880

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

• परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**5880**

7. <u>Case No 10346/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Kudana Sand Deposit in an area of 4.90 ha. (29400 cum per year) (Khasra No. 647), Village-Kudana, Tehsil-Gulana, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	647 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.900 ha.
स्थल	ग्राम Kudana तसहील Gulana जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्रमशः 240 मी. एवं 533 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि म **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार सेडबेक छोडा गया है, तथा मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 1.98 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.92 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,400 घनमीटर/वर्ष हेतु	

	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 228 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 228 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 228 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुडाना जिला शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–08 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 27000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–27000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 12400 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	12,400/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**800**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
2	ग्राम तिंगाजपर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**3000**

8. Case No 10349/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Kamardipur Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (21000 cum per year) (Khasra No. 377, 577), Village-Kamardipur, Tehsil- Moman Badodiya, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	377 & 577 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.500 ha.
स्थल	ग्राम Kamardipur तसहील Moman Badodiya जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 1.44 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.06 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कमरदीपुर जिला शाजापुर के पत्र दिनांक 19/12/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–06 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–21000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 21000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र में सघन वन आवरण क्षेत्र दिख रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया इसी स्थल पर पूरे वृक्षारोपण करने के उपाय किये जाये एवं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–21,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.10 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 13400 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)

सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	13,400/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1000**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**700**
2	ग्राम कमरदीपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4200**

9. Case No 10348/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Jhirniya Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 01, 160), Village-Jhirniya, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1& 160 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 ha.
स्थल	ग्राम Jhirniya तसहील Shujalpur जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में मियन्डर पर स्थित है, जिसका आशिंक भाग जल मग्न है, पानी डूबा होने के कारण 0.78 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.22 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है । ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 235 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 235 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 235 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 नदी में रेत बजरी खदान	

	क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चित्तौड़ा जिला शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 16/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.92 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.63 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	11,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**600**

	6 पंक्तियों में)	**4–5 पंक्ति – कटंग बांस** (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**450**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**450**
2	ग्राम झिरनिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	900

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**2400**

10. <u>Case No 10351/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Konta Uttar Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 555), Village-Konta, Tehsil-Moman Badodiya, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, (Field) Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	555 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	ग्राम KONTA तसहील Moman Badodiya जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, एवं पूर्णतः जलमग्न है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 225 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 225 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 225 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोंटा जिला शाजापुर के ग्रामसभा की बैठक दिनांक 07/05/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–48 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–24,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान ऑनलाईन अपलोडेड गूगल ईमेज एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई के.एम.एल. ईमेज के कॉर्डिनेट का मिलान नहीं हो रहा है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निद्रेशित किया कि खदान क्षेत्र की खनिज अधिकारी से प्रमाणित कर गूगल ईमेज प्रस्तुत करें, तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा की गई।

11. Case No 10325/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Dugdha Sand Deposit in an area of 4.95 ha. (29700 cum per year) (Khasra No. 435), Village-Dugdha, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	435 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)
स्थल	ग्राम DUGDHA तसहील Shujalpur जिला Shajapur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, जिसका लगभग भाग पानी में डूबा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 2.0 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.95 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 238 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 238 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 238 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी में

	रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दुग्धा जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29,700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के अंदर जहां–जहां पौधें लगे हुये वह क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र होगा एवं प्रस्तावित पौंधा–रोपण गैर खनन् क्षेत्र में किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–29,700 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.70 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.70 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 14000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	14,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1250**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1050**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**950**
2	ग्राम दुग्धा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2150

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**5400**

12. <u>Case No 10393/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Karadiya Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 517), Village-Karadiya, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	517 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.5 hectare.
स्थल	ग्राम Karadiya तसहील Shajapur जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, जिसका लगभग भाग पानी में डूबा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मार्च–अप्रैल में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण 1.01 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.49 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 222 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 222 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 222 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मोरटा जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 30/04/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–48 के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–15,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान के अंदर पौधें लगे हुये हैं परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जहां–जहां पर पौधे लगे हुये हैं। गैर खनन् क्षेत्र होगा एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण, गैर खनन् क्षेत्र में किया जावेगा एवं उनके द्वारा नदी के किनारे पूर्व स्थित हरित क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित् किये जावेगें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	11,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	550
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	550

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	800
2	ग्राम करदिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		**3000**

13. <u>Case No 10394/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Jorapur Sand Deposit in an area of 4.950 ha. (29700 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jorapura, Tehsil-Polaykala, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.95 hectare.
स्थल	ग्राम जोरापुरा तसहील पोलायकलां जिला शाजापुर (म.प्र.)	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग जलमग्न है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रसतुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 232 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 232 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 232 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुरादपुरालोदिया जिला शाजापुर के अनापत्ति पत्र दिनांक 26/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29,700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–29,700 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि

किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.12 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 14500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	14,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4990 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**900**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**550**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1040**
2	ग्राम जोरापुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से

लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**4990**

14. <u>Case No 10310/2023</u> <u>Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Richhoda Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 225), Village-Richhoda, Tehsil-Shujalpur , District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	225 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 Ha.
स्थल	ग्राम RICHHODA तसहील Shujalpur जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, जिसका आशिंक भाग जलमग्न है एवं उत्तर दिशा में 38 मी. की दूरी पर एक नाला नदी में आकर मिल रहा है।जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रसतुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 237 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र	

की अनापत्ति	क्रमांक 237 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 237 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रिछोदा जिला शाजापुर के प्रमाण–पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.11 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.34 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 13800 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	13,800/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**800**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
2	ग्राम रिछौदा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	600
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**2400**

15. <u>Case No 10326/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Mangrola Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (21000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mangrola, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र.

उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.500 Ha.
स्थल	ग्राम Mangrola तसहील Shujalpur जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है जिसका भाग पानी डूबा होने तथा चेक डेम होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शालापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 241 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शालापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 241 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शालापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 241 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मगरोला जिला शालापुर के पत्र दिनांक 16/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–19	

	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–21,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 21,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–21,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.39 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.05 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	12,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**700**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	1000
2	ग्राम मोर्गरोला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4200**

16. <u>Case No 10327/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, Prior Environment Clearance for Dastakhedi Sand Deposit in an area of 4.70 ha. (28200 cum per year) (Khasra No. 469), Village-Dastakhedi, Tehsil-Gulana, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	469 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.700 ha.
स्थल	ग्राम DASTAKHERI तसहील Gulana जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551	

	दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालिसिंध नदी में स्थित है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–28,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–28,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पास्ताखेड़ी जिला शाजापुर के अनापत्ति प्रामण पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–49 के सरल क्रमांक–10 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–28,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 28,200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया की गूगल ईमेज के अनुसार प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. परिधि में एक अन्य खदान सरल क्रमांक 16 पर उल्लेखित है (10327/2023) जिसका रकबा 4.70 हे. है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 12/09/2023 के माध्यम से समिति को सूचित किया कि सर्वे न.0 469 रकबा 4.70 हे. क्षेत्र में स्थित दास्ताखेड़ी रेत खदान जो कि काली सिंध नदी में स्थित खदान को स्थानीय कारणों व व्यवहारिक दृष्टिगत रखते हूये जिला शाजापुर की 21 रेत खदानों के समूह से हटाया (पृथक) किया गया है। अतः सेक में उक्त खदान को विचारार्थ नहीं रखा जावें। समिति ने निर्णय लेते हुये खनिज अधिकारी के उक्त प्रस्ताव को मान्य करते हुये प्रकरण पर विचार नहीं किया।

17. Case No 10307/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Sajod Sand Deposit in an area of 4.95 ha. (29700 cum per year) (Khasra No. 256), Village-Sajod, Tehsil-Shajapur , District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	256 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.950 ha.
स्थल	ग्राम SAJOD तसहील Shajapur जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान लखुन्दर नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग जलमग्न है। है। जिसका भाग पानी डूबा होने तथा चेक डेम 52 मी. की दूरी पर होने के कारण 1.97 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.98 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 223 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 223 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 223 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत साजोद जिला शाजापुर के प्रमाण–पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् स्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–48 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–29,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29,700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि चेक डेम खदान से 52 मी. की दूरी(डाउन स्ट्रीम) पर होने के कारण 1.97 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.98 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है, अतएव 2.98 हे. खनन् का 60 प्रतिशत एवं डी.एस.आर के अनुसार माईनिंग डेप्थ 01 मी. विचार करने पर रेत की उपलब्ध मात्रा 17800 घनमीटर उपलब्ध होती है।. अतः समिति रेत की मात्रा 17800 घनमीटर की अनुशंसा करती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–17800मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.04 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.79 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	16,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5940 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1240**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1500**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**
2	ग्राम साजोद के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	2200
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5940**

18. <u>Case No 10331/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Saliya Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 248, 320/1, 237/1/2/3), Village-Salia, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र.

उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	248, 320/1 & 237/1/2/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 Ha.
स्थल	ग्राम SALIA तसहील Shujalpur जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 233 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 233 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 233 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सालिया जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–17 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित	

	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.24 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11,500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	11,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**400**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार	**500**

		वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	
2	ग्राम सालिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**2400**

19. <u>Case No 10396/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Bolda Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 01, 322), Village- Bolda, Tehsil- Awantipur Badodia, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager (Field), Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1, 322 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.5 hectare.
स्थल	ग्राम बोल्दा तसहील अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर (म.प्र.)	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, एवं एक नाला पश्चिमी ओर से आकर खदान की दूसरी ओर से मिल रहा है। जिसका भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रसतुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 234 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 234 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 234 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/23 अनुसार ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव समिति के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–21 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–15,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.63 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 12,500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	12,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**450**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**650**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**550**
2	ग्राम बोल्दा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	950

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**3000**

20. <u>Case No 10344/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Bhyana Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 282, 364), Village-Bhyana Jadopur, Tehsil-Shujalpur , District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	282 & 364 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 ha.
स्थल	ग्राम Bhyana Jadopur तसहील Shujalpur जिला Shajapur (म.प्र)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में मियन्डर स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु	

	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 239 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 239 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 239 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भ्यानाजाधोपुर जिला शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–16 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.92 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.63 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 12,500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	12,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**450**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**650**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**550**
2	ग्राम बोल्दा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	950

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**3000**

21. Case No 10333/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Raipur Sand Deposit in an area of 2.75 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 1332 (Old 704)), Village-Raipur, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1332 (old 704) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.75 ha.
स्थल	ग्राम RAIPUR तसहील Shujalpur जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नेवज नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–16,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–16,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 236 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 236 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 236 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी में	

	रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–16,500 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–16,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.88 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11,500 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सन्तरा, नीम्बू, सीताफल, आम व करौंदा का नदी क्षेत्र से लगे किसानों को वितरण किये जाने हेतु।	11,500/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3300 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**

	नियत स्थान		(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास प्रजातियॉ** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1050**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**500**
2	ग्राम रायपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बरगद, पीपल, अर्जुन, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजाजियां।	1250

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

	योग	**3300**

22. <u>Case No 10298/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Karju Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 373, 896/1), Village-Karju, Tehsil-Moman Badodiya, District-Shajapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री मोहम्म्द आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAHAR PATHAN, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua, M.P.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	373 & 896/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	ग्राम KARJU तसहील Moman Badodiya जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 12/06/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कालीसिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने तथा खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम में चेक डेम 287 मी. की स्थिति में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 224 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 224 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 224 दिनांक 27/03/23 अनुसार नदी में रेत बजरी खदान क्षेत्र हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत करजू जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 14/04/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् पंचायत को आवंटित करने का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–48 के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–24,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

प्रकरण के परीक्षण दौरान समिति ने पाया कि यह खदान कालीसिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने तथा खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम में चेक डेम 287 मी. की स्थिति में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस मेप में सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार निर्धारित दूरी छोडते हुये सेटबेक नहीं दर्शाया गया है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

23. <u>Case No 9651/2023 M/s T.N.C. Enterprises, Authorized Signatory, Shri Rohit Agrawal, 24, Empire Estate By Pass Indore, District-Indore (MP)-452012 Prior Environment Clearance for Pitawali Stone (Gitti – 50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum) (Total Capacity :1,00,000 Cum per annum), Quarry in an area of 3.980 ha. (Khasra No. 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455 Private Land), Village-Pitawali, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP).</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rohit Agrawal, Authorized Signatory, M/s TNC ENTERPRISES, 24 Empire Estate by pass Indore, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462 and 455 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति प्राप्त है)	3.980 hectare.
स्थल	Village Pitawali, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 3118 दिनांक 22/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 में उत्पादन क्षमता Stone – 50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum (Total 1,00,000 Cum per annum) के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone–50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्	

	योजना अनुसार Stone–50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 54 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 21.08 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 54 दिनांक 11/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 54 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुर्जर बापच्या जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 26/5/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुल 05 पेड है। Tree Felling - 04 Additional tree to be planted -40
	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्चा रोड–140 मी.
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, जल का स्तर बढेगा, तार फेन्सिग, वृक्षारोपण वृक्षारोपण, रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–53 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti – 50,000 Cum per annum & M-Sand- 50,000 Cum per annum.

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.90 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पीतावली में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रीटिंग करवा कर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाया जावेगा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से लगवाया जावेगा ।	₹ 90,000/-
शासकीय माध्यमिक शाला पीतावली में एक कंप्यूटर साथ में कंप्यूटर टेबल और प्रिंटर देने का भी प्रावधान है	₹ 40,000/-
ग्राम पीतावली में पशु स्वास्थ के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए योगदान दिया जावेगा।	₹ 20,000/-
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रही आंगनवाड़ी केंद्र एवं प्राथमिक शालाओ में मरम्मत साथ ही साथ पुताई करवाई जावेगी एवं आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	₹ 50,000/-
कुल	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4820 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 900 मीटर परिधि तक)** **पौधों की ऊंचाई : 2.5 फीट से 3 फीट**	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	900
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 250 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	200
3	ग्राम कंकुंद में स्थित शासकीय विध्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	150

4	ग्राम अवलिया पिपलिया में स्थित शासकीय विध्यालय मे ं– 70 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	50
5	बापचागुर्जर गाँव के प्राइमरी माध्यमिक शाला में – 30 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	30
6	3500 पौधे बाटे जायेंगे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल , मुनगा , फलदार पौधे आदि।	3500
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना।			
		कुल	4820

24. <u>Case No 10362/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय] A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Prior Environment Clearance for Reema Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 428), Village- Ranipur, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 13/09/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, JABALPUR (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	428 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 ha.
स्थल	Village- Ranipur, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान गौर नदी में स्थित है, जिसका आशिंक भाग पानी डूबा हुआ है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2460 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2460 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2460 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुक्खम जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.58 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 13,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	13,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	ग्राम रानीपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		**1200**

25. Case No 9710/2023 M/s SBA STONE PRIVATE LIMITED, Authorized Signatory Shri Bane Singh Thakur, R/o 158, Kanchan Bag, District-Indore (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Pitawali Stone (Gitti & M-Sand) Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone-20000, M-Sand-20000 Cum per annum) (Khasra No. 510, 511/1, 511/2, 514 & 515/1 (Private), Village-Pitawali, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bane Singh Thakur (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Bane Singh Thakur, Authorized Signatory, M/s SBA STONE PRIVATE LIMITED, 158, Kanchan Bag Indore District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	510, 511/1, 511/2, 514 & 515/1(निजी भूमि भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	3.00 hectare
स्थल	Village Pitawali, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 288 दिनांक 31/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 631वीं बैठक दिनांक 18/03/23 को उत्पादन क्षमता Stone-20000, M-Sand-20000 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–20,00 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार त्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–20,00 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 472 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.33 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 472 दिनांक 13/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 472 दिनांक 13/02/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर की दूरी पर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुर्जर बापच्या जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 05 पेड है। Tree Felling - 03 Additional tree to be planted -30
	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड 55 मी.
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, वृक्षारोपण, जल का स्तर बढेगा खदान के खुलने से ऐसा लोगो का सुझाव, तार फेन्सिग, इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–53 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–20,00 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.36 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 2.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
➢ आंगनवाड़ी पीतावली में बर्तन सामग्री ए खेलकूद के सामग्री एंव एक साल तक पोषण आहार प्रदान किये जायेंगे।	60,000/-

➢ ग्रामवासियो को शिक्षा के प्रति जागरूगता लाने के लिए ग्राम पीतावली में बाल शिक्षा संघ के लिए योगदान दिया जावेगा। ➢ ग्राम पीतावली में माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल या हेडमास्टर के परामर्श से विज्ञान सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	20,000/- 40,000/-
कुल	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3630 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 780 मीटर परिधि तक) पौधों की ऊंचाई : 2.5 फीट से 3 फीट	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	780
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 60 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	40
3	नापाखेड़ी ग्राम में स्थित मंदिर में मंदिर परिसर में –	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	80
4	ग्राम सुमराखेडी में स्थित शासकीय विध्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	50
5	ग्राम बेरखेडी कोतापाई में स्थित शासकीय विध्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
6	आसपास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2630
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना।			
		कुल	3630

26. Case No 8883/2021 Shri Hridesh Pathak Lessee, Village - Hama, Post - Niwari, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 6.0 ha. (100000 Cum per annum) (Khasra No. 189/1), Village - Ganjsijari, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.

प्रकरण आज सेक की 678वीं बैठक दिनांक 13/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

27. Case No 10544/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Rewanagar River Sand Quarry in an area of 3.466 ha. (56148 cum per year) (Khasra No. 20/1), Village-Rewa Nagar, Tehsil-Kareli, District-Narsimhapur. (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ओ.पी बद्येल, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	20/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.466 hectare.
स्थल	Village Rewanagar, Tehsil Kareli District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	

रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–56,148 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–56,148 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खैरी महलपुरा जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–77 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–87,343.2 मै.टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–56,148 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान के दक्षिण दिशा में हरित् पट्टी के रिक्त क्षेत्रों में संपूर्ण पौधा–रोपण का कार्य किया जावें एवं 05 वर्षो तक रख–रखाव किया जावें एंव सुझाई गई प्रजाती के पौधे लगायें जायें ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–56,148 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 08.43 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.एस.आर मद से 80,000 रुपये की राशि ग्राम रेवानगर के Health & Wellness Center के खाते में जमा की जावेगी ।	80,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4160 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	नदी के दक्षिण तरफ 250 मीटर दूर खाली जगह में	बरगद, गूगल, पाकड़, जामुन, नीम, पीपल, अचार, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, पोधों से पोधों की दूरी (3मी.x 3मी) पोधों के ऊंचाई – 03 फीट	2500
	नदी के दक्षिण तरफ 400 मीटर दूर नाले के दोनों तरफ	कटंग बांस पोधों से पोधों की दूरी (4मी.x 4मी) पोधों के ऊंचाई – 03 फीट	1660

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र

के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**4160**

28. <u>Case No 10543/2023</u> <u>Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Gangai River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64800 cum per year) (Khasra No. 400/1), Village-Gangai, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ओ.पी बद्येल, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	400/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Gangai, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सीतारेवा नदी में स्थित है, खदान से 100 मी. की दूरी पर पक्का रोड ब्रिज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया	

	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गॉगई जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–79 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1,00,800 मै.टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रकरण के परीक्षण दौरान समिति ने पाया कि यह खदान सीतारेवा नदी में स्थित है, खदान से 107 मी. की दूरी पर पक्का रोड ब्रिज है, तथा खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम में पक्का रोड ब्रिज 107 मी. की स्थिति में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस मेप में सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार निर्धारित दूरी छोडते हुये सेटबेक नहीं दर्शाया गया है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

29. Case No 10530/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Bagdara River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64800 cum per year) (Khasra No. 272), Village-Bagdara, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ओ.पी बघेल, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	272(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Bagdara, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान शक्कर नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	

	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बगदरा जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 15/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–79 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1,00,800 मै.टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–64,800 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.15 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.08 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम बगदरा के शासकीय स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जांच (जैसे – मलेरिया, डेंगू) शिविर के लिए Helth & Wellness Center / जन आरोग्य समिति के	**50,000**

खाते में 50,000 रुपये की राशि जमा की जावेगी ।	

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1300
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	500
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा गरारी, खमेर कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– बगदरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2700
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	4800

30. Case No 10532/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Bairagarh River Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (77760 cum per year) (Khasra No. 176), Village-Bairgarh, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ओ.पी बद्येल, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	176 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.80 hectare.
स्थल	Village Bairagarh, Tehsil Gadarwara District (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान दुधि नदी में स्थित है, जिसका अल्प भाग भाग जलमग्न है, पानी डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र एवं खनन् क्षेत्र सरफेस मेप में प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–77,760 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–77,760 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	

	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/06/23 अनुसार र 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैरागढ़ जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–78 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1,20,960 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 77,760 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–77,760 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 08.30 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सी.एस.आर मद से 50,000 रुपये की राशि ग्राम बैरागढ़ के Health & Wellness	**50,000**

Center के खाते में जमा की जावेगी ।	

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5760 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**नदी किनारे के दाये तरफ (पूर्व दिशा में) ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा ।**	**बरगद, गूगल, पाकड़, जामुन, नीम, पीपल, अचार, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां,** **पोधों से पोधों की दूरी (3मी.x 3मी)** **पोधों के उचाई – 03 फीट**	**5760**
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGERED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		**4160**

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

1. **संशोधित अक्षांश–देक्षांश–जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट शाजापुर (रेत खनिज)**

आज दिनांक 13/09/2023 को शाजापुर के प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण के समय पी.पी द्वारा संशोधित कॉर्डिनेट की जानकारी जो खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 658 दिनांक 04/07/2023 के द्वारा दिये गये है, उसे मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा द्वारा बताया गया कि जिले की रेत खनिज की डी.एस.आर का अप्रूवल दिनांक 22/09/2022 को किया गया था, समिति द्वारा संशोधित सूची को मान्य किया गया। माईनिंग ऑफिसर को निर्देश दियें गये की पूरे डीएसआर की सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कापी शीघ्र सेक कमेटी एवं सिया कार्यालय को प्रस्तुत किया जावें।

2- **संशोधित अक्षांश–देक्षांश–जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नरसिंहपुर**

खनिज अधिकारी श्री श्री ओ.पी बघेल द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर **शाजापुर** द्वारा डी.एस.आर के अक्षांश–देक्षांश में परिवर्तन की सूची आज दिनांक 13/09/2023 को समिति के समक्ष अपने पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 12/09/2023 के द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत अक्षांश–देक्षांश के आधार पर नरसिंहपुर के रेत खदानों के प्रकरणों को आज परिक्षण किया गया। खनिज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी परिवर्तित अक्षांश–देक्षांश को शामील करते हुये सेक में प्रस्तुत करें।

- **पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तो के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तो का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तो का परिपालन में देखना होगा।**
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) from the river…….bank shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

	तीन वर्षो तक ।	
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।